

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2778/2026

1. Manish @ Manaram @ Manilal S/o Hamiraram, Aged About 26 Years, R/o Tiloi, Police Station Bekaria, District Udaipur.
2. Keklaram S/o Hamiraram, Aged About 24 Years, R/o Tiloi Merpur, Police Station Bekaria, District Udaipur.
3. Husaram @ Hussain @ Husan S/o Nanaram, Aged About 25 Years, Soyta Fati, Mewaro Ka Math, Kotra, Potice station Bekaria, District Udaipur.
4. Walaram S/o Anadaram, Aged About 31 Years, Tiloi Kotra, Police Station Bekaria, District Udaipur.
(Presently Lodged In Sub Jail, Bali, Dist. Pali)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Prashant Bhatt
Mr. Ishwar Singh

For Respondent(s) : Mr. Urja Ram Kalbi, Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/03/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना रानी, जिला पाली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 45/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 331(4), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर चोरी करने के अपराध का आरोप है, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से बरामदगी होना बताया गया है, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मनीष उर्फ मणाराम उर्फ मणीलाल, केकलाराम तथा वालाराम दिनांक 25.08.2025 से तथा प्रार्थी/अभियुक्त हुसाराम उर्फ हुसैन उर्फ हुसन दिनांक 26.08.2025 से अभिरक्षा में हैं। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध जो आपराधिक कृत्य करने का अपराध है, वह मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय बताया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मनीष उर्फ मणाराम उर्फ मणीलाल, केकलाराम तथा वालाराम दिनांक 25.08.2025 से तथा प्रार्थी/अभियुक्त हुसाराम उर्फ हुसैन उर्फ हुसन दिनांक 26.08.2025 से अभिरक्षा में हैं। विचारण में समय लगेगा। यद्यपि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं तथापि प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. मनीष उर्फ मणाराम उर्फ मणीलाल पुत्र हामीराराम 2. केकलाराम पुत्र हामीराराम 3. हुसाराम उर्फ हुसैन उर्फ हुसन पुत्र नानाराम 4. वालाराम पुत्र अणदाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार

रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे:—

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रकरण का विचारण पूर्ण होने तक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा इसमें चूक करने पर संबंधित थानाधिकारी अविलम्ब संबंधित न्यायालय को सूचित करें।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण भविष्य में पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित नहीं करेंगे।

यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है, तो अभियोजन पक्ष प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रदत्त जमानत सुविधा निरस्त करवाने हेतु संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

आदेश की पालना हेतु इस आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाने को अविलम्ब भिजवायी जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J